

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

पत्राकः  
प्रेषक,

यो0ब02/1-35/2018-101/यो0वि0,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

राजेश्वर प्रसाद सिंह,  
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
वीरचन्द पटेल पथ,  
बिहार, पटना।  
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

द्वारा:-

विषय:

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग सं0-35 के अंतर्गत विपत्र कोड-35-2053000940007 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2802-संविदा सेवाएँ मद में एवं विपत्र कोड-35-2052000900010 विषय शीर्ष-0101-वेतन मद की बचत राशि से विपत्र कोड-35-2052000900010 के अंतर्गत विषय शीर्ष-2003-प्रशिक्षण व्यय मद में 31,00,000/- (इकतीस लाख) तथा विपत्र कोड-35-2053000940007 के अधीन विषय शीर्ष-0101-वेतन मद में 3,82,65,000/- (तीन करोड़ बेरासी लाख पैसठ हजार), अर्थात् कुल 4,13,65,000/- (चार करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार) रुपये राशि के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश.


बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, विपत्र कोड-35-2053000940007 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2802- संविदा सेवाएँ मद में 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) एवं विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष-0101-वेतन मद में 1,13,65,000/- (एक करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार रुपये) अर्थात् कुल बचत राशि 4,13,65,000/- (चार करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार) से मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, विपत्र कोड-35-2052000900010 के अंतर्गत विषय शीर्ष-2003-प्रशिक्षण व्यय मद में 31,00,000/- (इकतीस लाख) तथा मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष-0101-वेतन मद में 3,82,65,000/- (तीन करोड़ बेरासी लाख पैसठ हजार), अर्थात् कुल 4,13,65,000/- (चार करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार) रुपये राशि के स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी जाती है।

2. 278 योजना सहायक तथा 71 सहायक योजना पदाधिकारी की नियुक्ति के उपरांत उनके माह नवम्बर/दिसम्बर, 2018 में योगदान के फलस्वरूप वेतन एवं प्रशिक्षण मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोग से राशि प्रावधानित करायी गयी है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:

यो0ब02/1-35/2018-1011/यो0वि0,पटना,दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:

- (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/ससूचन शाखा, बिहार, पटना।
- (2) उप निदेशक (निकासी एवं व्यय पदाधिकारी), योजना एवं विकास विभाग/कार्य अंचल स्तर पर सभी अधीक्षण अभियंता/कार्य प्रमंडल स्तर पर सभी कार्यपालक अभियंता (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन)/प्रमंडल स्तर पर सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/जिला स्तर पर सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/शाखा पदाधिकारी-2 (बजट), योजना एवं विकास विभाग।
- (3) सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

सरकार के अपर सचिव  
योजना एवं विकास विभाग  
बिहार, पटना।

(13)  
27.11.2019